ग्राम पंचायत गरावग, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

1 **(क) प्रस्तावना:-** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत गरावग, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री महिन्द्र सिंह	23.1.2011 से 22.1.2016
2	श्री रमेश सावंत	23.1.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री नरेश चन्द	1.4.2013 से 10.2.2014
2	श्री सुरिन्द्र सिंह	10.2.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत गरावग के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7(ख)	खाता "क" से संबन्धित आय को खाता "ख" में रखना	1.67
2	9	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.16
3	10	अनुदान का उपयोग न करना	5.91
4	11	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न	4.56

		करना	
5	12	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	5.51
6	13	संविदाकार से वैधानिक कटौतियां न करना	0.33
7	14	निर्माण सामग्री से Voids की कटौती न करना	0.22
8	15	अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष	0.91
9	16	भुगतान वास्तविक व्यक्तियों/पक्ष को न करके अन्य पक्ष को करना	6.39
10	18	अनुदान राशि खण्ड विकास अधिकारी को वापिस करना	1.47
11	19	राशि का संदेहास्पद भुगतान	0.80
12	21(क)	राशि को अनियमित प्रकार से हस्तगत रखना	0.42

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत गरावग, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिंह चौहान व श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.12.2016 से 22.12.2016 तक किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 12/2013, 7/2014 , 11/2015 व 7/2013 , 8/2014 , 12/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत गरावग, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8,000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्या: 04, दिनांक 22.12.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गरावग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत गरावग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट क** अनुसार अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की रोकड़ बहियों/अभिलेख पर आधारित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

स्व-स्त्रोत एवं सामान्य अनुदान निधि:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	1490744.59	619798	2110542.59	1300067	810475.59
2014-15	810475.59	1331816	2142291.59	1461592	680699.59
2015-16	680699.59	1957551	2638250.59	2048250	590000.59

मनरेगा:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	607	40425	41032	40296	736
2014-15	736	27	763	0	763
2015-16	763	25	788	266	522

दिनांक 31.3.2016 को कुल योग **590522.59**

नोट:- **(i)** सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं सामान्य अनुदानों की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व-स्त्रोत एवं सामान्य अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व-स्त्रोत एवं सामान्य अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

(ii) रोकड़ बहियों में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः रोकड़ बहियों में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के

दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेषों को ही वित्तीय स्थिति के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance)** लिए गए हैं।

5 बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है। हालांकि दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति और बैंक खातों के अन्तशेष में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए:-

क्रम सं०	**विवरण**	**राशि (₹)**
1	रोकड़ बहियों पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **(परिशिष्ट-क)**	590522.59
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**	590522.59
3	अन्तर	शून्य

6 निवेश

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट लेखे , संपरीक्षा , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार ग्राम पंचायत अपनी बचतों/आधिक्य राशि को बैंक/डाकघर में निवेश कर सकती है ताकि अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत, गरावग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में यदि पंचायत निधियों में कोई अनुपयुक्त/आधिक्य राशि हो तो उसे नियमानुसार बैंक/डाकघर में निवेश करके अतिरिक्त ब्याज अर्जित किया जाये।

7 (क) रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट लेखे , संपरीक्षा , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से

प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता- 'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता-'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत गरावग में 2 रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा 3 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(ख) ₹1.67 लाख की खाता "क" से संबन्धित आय को खाता "ख" में रखना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट लेखे , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय को तथा अनुदानों (खाता "ख") के बैंक खाते से अर्जित ब्याज राशि को खाता "क" (स्व-स्त्रोत निधि) के बैंक खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक ₹1,66,565/- खाता "क" के बैंक खाते में जमा/हस्तांतरित नहीं की गयी थी जिसका विवरण "**परिशिष्ट-ग"** पर दिया गया है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

8 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का स्वतः स्त्रोत निधि (Own Source Fund) का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के तकनीकी अभिलेख का सही प्रकार से रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, आरेखण, मूल्यांकन, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख-रखाव नहीं किया गया था। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ₹1.50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है तथा ₹1.50 लाख से कम के निर्माण कार्यों का अभिलेख पंचायत में व्यवस्थित/सही प्रकार से नहीं रखा गया है। उपरोक्त अभिलेख के अभाव में लाखों रूपये के निष्पादित निर्माण कार्यों की उचित जांच व समय-2 पर जारी की गयी निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, रेत, बजरी, पत्थर, स्टील इत्यादि की खपत की पुष्टि की जानी संभव नहीं है। अतः पंचायत के समस्त तकनीकी अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये तथा ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच व जारी की गयी निर्माण सामग्री की खपत सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली शेष

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से संबन्धित **"परिशिष्ट-'घ"** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹15,572/- की राजस्व वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 अनुदान ₹5.91 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों की कुल ₹590522.59 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व सामान्य अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व-स्त्रोत व सामान्य अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत

निधि खाता-'क" व खाता- 'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व सामान्य अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से सामान्य अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 ₹4.56 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 , 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्थायी/अस्थाई भण्डार रजिस्टर व सामग्री स्टॉक रजिस्टर जैसे सीमेंट , रेत , बजरी, स्टील इत्यादि का निर्माण नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय-2 पर स्थायी/अस्थाई भण्डार व निर्माण सामग्री का मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया , कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी, जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक लाखो रूपये की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹4,56,207/- की विभिन्न मदों , जिनका विवरण **परिशिष्ट-'ङ"** में दिया गया है , का क्रय किया था परन्तु इनकी स्टॉक प्रविष्टियों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

12 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹5.51 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-'च"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹5,51,351/- के स्टोर-स्टॉक का क्रय निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा। अत: स्टोर /स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 ₹0.33 लाख की संविदाकार से वैधानिक कटौतियां न करना

अकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य निधि से निम्न वर्णित निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान किया गया परन्तु भुगतान बिल से नियमानुसार ₹32,850/- की विभिन्न वैधानिक कटौतियां नहीं की गयी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं०	**बिल संख्या**	**दिनांक**	**कार्य का नाम**	**संविदाकार का नाम**	**बिल राशि (₹)**
1	002 (वाउचर संख्या 41)	16.7.14	जेसीबी मशीन द्वारा गरावग से शाहु तक सड़क निर्माण	श्री मदन लाल वर्मा, गुथान, ठियोग	219000
				योग	219000
				प्रतिभूति राशि (Refundable) 10%	21900
				आय कर 2%	4380
				बिक्री कर 2%	4380
				लेबर सैस 1%	2190
				कुल	**32850**

अतः संविदाकार के भुगतान बिल से वैधानिक कटौतियां न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई जिसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अधिक

भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता न दोहराई जाए।

14 निर्माण सामग्री से ₹0.22 लाख के Voids की कटौती न करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-'छ"** पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹22,344/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

15 ₹ 0.91 लाख की अग्रिम राशि दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-ज"** दिनांक 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों को प्रदान की गयी ₹90,965/- की अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष थी। परिशिष्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकतर राशियाँ वर्ष 1996 से समायोजन हेतु लम्बित हैं जिनका प्रयोजन अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इतनी लम्बी अवधि से अग्रिम राशियों का समायोजन न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तीजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इन अग्रिम राशियों की दण्ड ब्याज सहित शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 ₹6.39 लाख का भुगतान वास्तविक पात्र/पक्ष को न करके अनियमित प्रकार से अन्य पक्ष को करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) व 17(2) के अनुसार सभी चैकों से भुगतान संबन्धित पक्ष को ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित मासों में निम्न विवरणानुसार चैकों द्वारा ₹6,38,808 की राशि के विभिन्न भुगतान

वास्तविक पात्र/पक्ष को न करके अनियमित प्रकार से अन्य व्यक्तियों/पक्ष को किए गए थे। चर्चा के दौरान सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि जिनको चैक जारी किए गए थे उनके द्वारा चैक आहरित करके संबन्धित पक्ष को पूर्ण भुगतान किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि स्पष्टीकराण का कोई प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया व साथ ही इस प्रथा से उक्त नियम की पूर्ण अवहेलना हुई है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के भुगतानों से किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनियमित प्रकार से अन्य पक्षों को चैकों के भुगतान बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त राशि का भुगतान वास्तविक व्यक्तियों/पक्षों को प्राप्त हुआ है। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाये:

क्रम सं०	माह	चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)	**चैक जिसको जारी किया गया (सर्वश्री)**	**चैक देय था (सर्वश्री)**	राशि जो देय थी (₹)
1	7/13	891390	9.7.13	15000	सीता देवी	**लाल सिंह**	9000
						दि पिक-अप एण्ड यूटिलिटी ओपरेटर्स यूनियन, कोटखाई	6000
2	7/13	891391	9.7.13	15000	संदीपा	**चन्द्र बहादुर**	7600
						दि पिक-अप एण्ड यूटिलिटी ओपरेटर्स यूनियन, कोटखाई	7400
3	7/13	891392	9.7.13	15000	प्रताप सिंह	**दि पिक-अप एण्ड यूटिलिटी ओपरेटर्स यूनियन, कोटखाई**	12650
						मस्ट्रोल सं० 11705 , माह 6/13	2350
4	7/13	891393	9.7.13	15000	जितेन्द्र सिंह	**कोटखाई ग्रोअर्स , चोले (कोटखाई)**	5500
						राम बहादुर	9500
5	7/13	891394	9.7.13	15000	रेणुका देवी	**भगत राम**	6600
						दि पिक-अप एण्ड यूटिलिटी ओपरेटर्स यूनियन, कोटखाई	6850
						राम गोपाल ब्रदर्स , कोटखाई	1550

6	7/13	891396	9.7.13	15000	जितेन्द्र	चन्द्र बहादुर	7600
						दि पिक-अप एण्ड यूटिलिटी ओपरेटर्स यूनियन, कोटखाई	7400
7	7/13	891397	9.7.13	10100	पूर्व प्रधान	मानदेय, पंचायत पदाधिकारी	10100
8	8/14	891399	9.7.14	60000	मोहन कृष्ण	दीप राम	30000
						दि कोटखाई ग्रोवर्स, चोले (कोटखाई)	21000
						मस्ट्रोल	9000
9	8/14	799692	1.8.14	219000	विपन सावंत	मदन लाल वर्मा	219000
10	8/14	799693	4.8.14	50000	मोहेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान	दि कोटखाई ट्रक	38500
						मस्ट्रोल	11500
11	8/14	799699	20.8.14	10000	मोहेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान	मस्ट्रोल संख्या 11730	10000
12	12/15	466305	5.12.15	50000	दिनेश	ब्रागटा एंटरप्राइजेज़ , कोटखाई	18000
						मस्ट्रोल संख्या 11788	32000
13	12/15	466314	14.12.15	40000	मोहेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान	बलदेव	40000
14	12/15	466313	14.12.15	6708	सत्या देवी	मस्ट्रोल संख्या 11789	6708
15	12/15	466306	14.12.15	50000	सुखचैन	भीम सिंह	50000
16	12/15	466316	21.12.15	6000	मोहेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान	मस्ट्रोल संख्या 11790	6000
17	12/15	466315	21.12.15	9000	मोहेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान	मस्ट्रोल संख्या 11791	9000
18	12/15	466312	21.12.15	38000	प्रकाश चन्द	मस्ट्रोल संख्या 11792	38000
			योग	**638808**			**638808**

17 ₹3.12 लाख की विभिन्न लाभार्थियों को वितरित की गयी राशि के स्वीकृति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह 12/2015 में "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु सामान्य निधि से 26 लाभार्थियों को **परिशिष्ट-झ"** के अनुसार ₹12,000/- प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹3,12,000/- की राशि का वितरण किया गया। यह राशि खण्ड विकास अधिकारी , जुब्बल-कोटखाई से दिनांक 4.11.2015 को रोकड़ बही के पृष्ठ-39 (हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक, कोटखाई, खाता संख्या 100030) पर प्राप्त हुई थी। परन्तु लाभार्थियों को उक्त मिशन के अन्तर्गत वास्तव में कितनी-2 राशि वितरित की जानी अपेक्षित थी के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के कोई दिशा निर्देश/स्वीकृति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये ताकि वितरित की गयी राशि को न्यायोचित ठहराया जा सके।

18 ₹1.47 लाख की अनुदान राशि खण्ड विकास अधिकारी को वापिस करना

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ-23 पर रसीद संख्या 158870 , दिनांक 4.4.2015 द्वारा ₹1,47,000/- की राशि खण्ड विकास अधिकारी , जुब्बल-कोटखाई से "खाता निर्माण पक्का रास्ता कुड़ी मोहली" हेतु प्राप्त हुई। परन्तु यह राशि चैक संख्या 464952 , दिनांक 29.4.2015 को उक्त अधिकारी को वापिस कर दी गयी। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि भूमि विवाद के कारण उक्त कार्य निष्पादित नहीं हुआ जिसके कारण राशि खण्ड विकास अधिकारी को राशि वापिस की गयी। प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि भूमि विवाद का मामला अनुदान की मांग/प्राप्त करने से पूर्व निपटाया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त राशि को लगभग 25 दिनों के भीतर ही वापिस करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में कोई भी अनुदान प्राप्त करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जायें।

19 ₹0.80 लाख का संदेहास्पद भुगतान

(क) चयनित माह 8/2014 में निम्न वर्णित कार्य हेतु ₹50,000/-की राशि का संदेहास्पद भुगतान किया:-

कार्य का	बिल सं०/दिनांक	आपूर्तिकर्ता/विवरण	सामग्री	राशि (₹)

नाम				
खाता मुरम्मत पंचायत घर गरवाग	180/18.7.14 (वाउचर सं॰ 45)	द कोटखाई ट्रक ओपरेटर्स यूनियन (पंजीकृत)	3500 ईंटें ₹ 11 प्रति ईंट	38500
	मस्ट्रोल सं॰ 11728 (वाउचर सं॰ 46)	अवधि 1.7.2014 से 16.7.2014	मजदूरी का भुगतान	11500
			योग	**50000**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ईंटों की आपूर्ति दिनांक 18.7.2014 को प्राप्त हुई जबकि मस्ट्रोल पहले ही अवधि 1.7.14 से 16.7.2014 तक लग चुका था। अतः बिना सामग्री के मजदूरों द्वारा किया गया कार्य व भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन सुनिश्चित की जाये व किए गए ईंटों व मजदूरी के भुगतान ₹50,000/- को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ख) चयनित माह 8/2014 में निम्न वर्णित कार्य हेतु ₹30,000 का संदेहास्पद भुगतान किया

कार्य का नाम	**बिल सं॰/दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता/विवरण**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
खाता निर्माण पुल गेरेई	7697/14.7.14 (वाउचर सं॰ 50)	गोपाल एजेन्सीस कोटखाई	स्टील:- चैनल, एंगल, एमएस शीट, पाइप्स	24551
	मस्ट्रोल सं॰ 11729 (वाउचर सं॰ 51)	अवधि 7.7.2014 से 16.7.2014	मजदूरी का भुगतान	5449
			योग	**30000**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्टील की आपूर्ति दिनांक 14.7.2014 को प्राप्त हुई जबकि मस्ट्रोल पहले ही अवधि 7.7.14 से 16.7.2014 तक लग चुका था। अतः बिना सामग्री के मजदूरों द्वारा किया गया कार्य व भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन सुनिश्चित की जाये

व किए गए स्टील व मजदूरी के भुगतान ₹30,000/- को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

20 ₹0.49 लाख की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना

चयनित माह 7/2014 में रसीद संख्या 158860 , दिनांक शून्य द्वारा ₹49,000/- की राशि खण्ड विकास अधिकारी , जुब्बल-कोटखाई से 'रबड़ पाइप बड़वी-शोषन एच०बी० शाहु-पडशोली" हेतु प्राप्त हुई। परन्तु इस राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राशि वास्तव में रसीद संख्या 158858, दिनांक 9.7.2014 द्वारा प्राप्त हुई थी जिसे रोकड़ बही पृष्ठ-5 पर दर्ज किया गया है जबकि उक्त रसीद सख्या 158860 गलती से दूसरी बार काटी गयी थी जिसे रोकड़ बही में दूसरी बार दर्ज नहीं किया गया। अतः रसीद संख्या 158860 के बारे में खण्ड विकास अधिकारी , जुब्बल-कोटखाई से पुष्टि की जाये व तदानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

21 ₹0.45 लाख की राशि के आहरण बारे

(क) ₹0.42 लाख की राशि को अनियमित प्रकार से हस्तगत रखना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ पृष्ठ-06 पर चैक संख्या 799690 , दिनांक 10.7.2014 द्वारा ग्राम पंचायत के खाता संख्या 10030 (हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक , शाखा कोटखाई) से ₹45,216/- की राशि आहरित की गयी। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि यह राशि पूर्व प्रधान श्री मोहिन्द्र सिंह को खेल सामग्री के क्रय हेतु की गयी थी। इस राशि के समायोजन से संबन्धित अभिलेख में निम्न बिल/वाउचर पाये गए:-

क्रम सं०	बिल सं०/दिनांक	आपूर्तिकर्ता/विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)
1	शून्य/10.7.2014	मस्ट्रोल जून, 2014	06	3216
2	2853/27.3.2015	मै० प्राइम स्पोर्ट्स , सेक्टर 7-सी , चंडीगढ़	22	36975
3	108/26.3.2015	द पिक-अप एंड यूटिलिटी ओपरेटर्स यूनियन (पंजीकृत) , मेन बस स्टैंड कोटखाई, जिला शिमला *(नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर क्रय*	22	5025

की गयी सामग्री का ढुलान बिल)

योग 45216

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 2 व 3 के अनुसार ₹42,000/- (36975+5025) की राशि पूर्व प्रधान द्वारा दिनांक 10.7.2014 से 27.3.2015 तक अपने पास हस्तगत रखी गयी जो कि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के विरूद्ध है । अतः लगभग 8 माह तक ₹42,000/- की राशि को हस्तगत रखना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तीजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व पाई गयी अनियमितता को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹42,000/- की राशि पर 8 माह के दण्ड ब्याज की वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ख) ₹ 0.05 लाख का संदेहास्पद भुगतान

उपरोक्त उक्त पैरा 21(क) के क्रम संख्या 2 व 3 से स्पष्ट है कि खेल सामग्री दिनांक 27.3.2015 को क्रय की गयी परन्तु ढुलान का बिल एक दिन पूर्व दिनांक 26.3.2015 का संलग्न था जो कि संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में ढुलान की राशि ₹5025/- का भुगतान नहीं किया गया था जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व ढुलान के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹5025/- की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ग) सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पैरा 21(क) के क्रम संख्या 2 पर क्रय की गयी सामग्री स्थानीय युवक मण्डल व महिला मण्डल को वितरित की गयी थी। परन्तु वितरण से संबन्धित पावतियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गईं जो कि आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जायें।

(घ) उक्त पैरा 21(क) के क्रम संख्या 2 पर दर्शाई गयी सामग्री की निविदाएँ चंडीगढ़ से प्राप्त की गयी थी जबकि यह सामान शिमला या सोलन से प्राप्त किया जा सकता था। अतः इतनी दूर से सामग्री क्रय करने का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाये।

22 ₹0.25 लाख की राशि का समायोजन न करना

चयनित माह 12/2015 में वाउचर संख्या 118 के अन्तर्गत सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ-43 पर श्री मुकेश, गाँव जौणी, डाक घर गरवाग, तहसील कोटखाई को चैक संख्या 466307, दिनांक 5.12.2015 द्वारा ₹25,000/- की राशि का अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया जिसकी अभिलेख में पावती संलग्न थी। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अग्रिम राशि का भुगतान "खाता निर्माण पक्का पाथ जौणी से पाटरू" हेतु रेत , रोड़ी की खरीद के लिए किया गया था जबकि कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त अग्रिम राशि का आज तक एक वर्ष पश्चात भी समायोजन नहीं किया गया था जिससे स्पष्ट है कि सरकारी धन का सीधा दुरुपयोग हो रहा है। अतः पाई गयी वित्तीय अनियमितता बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व इस राशि की दण्ड ब्याज सहित शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

23 ₹0.11 लाख की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित राशि के स्वीकृति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह 12/2015 में सामान्य निधि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ₹11,800/- की राशि का वितरण निम्न वर्णित लाभार्थियों को किया गया। परन्तु न तो चुने गए लाभार्थियों की सूची तथा न ही वास्तव में वितरित की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के कोई दिशा निर्देश/स्वीकृति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये ताकि चुने गए लाभार्थियों व वितरित की गयी राशि को न्यायोचित ठहराया जा सके:-

क्रम सं॰	लाभार्थी का नाम सर्वश्री	योजना/कार्य का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र मदी राम	निर्माण शौचालय	44	2700
2	वीरेन्द्र चौहान पुत्र गंगा राम	बालिका स्मृद्धि योजना	44	500
3	जितेन्द्र सिंह पुत्र हीरु राम	-यथोपरि-	45	500
4	महेन्द्र सिंह पुत्र परमानन्द	निर्माण शौचालय	45	2700
5	जय प्रकाश पुत्र चेत राम	-यथोपरि-	47	2700
6	जय राम पुत्र धूमी सिंह	-यथोपरि-	48	2700
			योग	**11800**

24 ₹0.22 लाख के मानदेय/वेतन के भुगतान बारे

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार चयनित माह 7/2013 व 8/2014 में ग्राम पंचायत के पंचगण व चौकीदार को निम्न विवरणानुसार ₹21,700/- के मानदेय व वेतन का भुगतान किया गया । परन्तु मानदेय व वेतन की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था । अतः भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रम सं०	**विवरण**	**चयनित माह माह**	**अवधि**	**राशि (₹)**
1	मानदेय पंचगण	7/13	5/13 से 6/13	10100
2	वेतन चौकीदार	7/13	5/13 से 6/13	3300
3	भत्ता चौकीदार	7/13	5/13 से 6/13	300
4	वेतन चौकीदार	8/14	4/14 से 7/14	7400
5	भत्ता चौकीदार	8/14	4/14 से 7/14	600
			कुल	**21700**

25 वाउचर संख्या 116 , चयनित माह 12/2015, राशि ₹18000/-

उपरोक्त वाउचर के अन्तर्गत "खाता पक्का पाथ भोन से काली माता मन्दिर जौणी" हेतु सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ-43 पर बिल संख्या 4047 द्वारा ब्रागटा एंटरप्राइजेज़ कोटखाई को 50 सीमेंट बैग हेतु ₹340/- प्रति बैग की दर से ₹17,000 + ₹1,000 ढुलान कुल ₹18,000 का भुगतान किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त बिल की दिनांक में कटिंग की गयी थी जो कि पढ़ने योग्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त रास्ते के निर्माण हेतु मस्ट्रोल संख्या 11788 (वाउचर संख्या 117 चयनित माह 12/2015) , अवधि 1.10.2015 से 20.10.2015 तक मजदूरों द्वारा किए गए कार्य हेतु ₹32,000/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त सीमेंट के बिल की दिनांक स्पष्ट न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सीमेंट कब खरीदा गया जिसका मस्ट्रोल की अवधि से मिलान (Compare) किया जा सके। अतः सीमेंट के बिल की वास्तविक दिनांक की आपूर्तिकर्ता से पुष्टि करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाये ताकि तदानुसार आगामी कार्यवाही की जा सके।

26 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य नियम) , 1997 के नियम 34 तथा हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसका पूर्ण विवरण **"परिशिष्ट-ञ"** पर दिया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार समस्त अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

27 विविध

(क) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र फॉर्म-3 पर रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करना अपेक्षित है। परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आय के संग्रह हेतु उक्त रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तीजनक भी है। अतः पाई गयी त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व स्टॉक रजिस्टर का अविलम्ब रख-रखाव करने के उपरान्त ही रसीद बुकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट , लेखे , संपरीक्षा , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1,000/- से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बीच-2 में इस प्रकार का भुगतान नकद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीद/पावतियाँ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नकद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये। भविष्य में उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ग) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से संबन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल/वाउचर पर अंकित किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है। अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाये।

(घ) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: उक्त नियम के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

28 लघु आपति विवरणिका :-लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

29 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 57/2017–खण्ड–1–1520–1523 दिनाँकः08.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत गरावग, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.